# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

## पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 79/2011 ( उदयपुर आर्डर )**

1. श्री लोगर पिता श्री गल्ला जी गमेती निवासी ढिंगली तहसील गिर्वा जिला जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री प्रतीमसिंह यादव पिता श्री मोहनलाल जी यादव निवासी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर ( **कार्यवाही अबेट** )

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. श्री दुर्गाप्रसाद उर्फ जरगीया पिता श्री गणेश भील निवासी सुन्दरवास उदयपुर (राज0)
2. श्रीमती लोगरी बेवा स्वर्गीय श्री वेणा भील निवासी सुन्दरवास उदयपुर
3. श्री देवीलाल पिता स्वर्गीय श्री वेणा भील निवासी सुन्दरवास उदयपुर (राज0)
4. **स्वर्गीय श्री सवा पिता श्री गणेश भील निवासी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के वारिसान** :–
   - 4/1– श्रीमती कंकुदेवी बेवा श्री सवा भील निवासी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
   - 4/2– श्री दिनेश पिता श्री सवा भील निवासी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
5. श्रीमती उमा बाई बेवा स्वर्गीय श्री पेमा भील निवासी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
6. श्री अमृतलाल पुत्र स्वर्गीय श्री पेमा भील निवासी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
7. श्री अम्बालाल पिता स्वर्गीय श्री पेमा भील निवासी 23–सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
8. श्रीमती पुष्पा बाई धर्मपत्नी श्री पप्पूजी भील पुत्री स्वर्गीय श्री पेमा भील निवासी मुल्ला तलाई उदयपुर (राज0)
9. **स्वर्गीय श्री माधू पता श्री गणेश गमेती निवासी निवासी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0) के वारिसान :–**
   - 9/1– श्रीमती लक्ष्मीबाई बेवा स्वर्गीय श्री माधुजी गमेती निवासी सुन्दरवास सून्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
   - 9/2– श्री देवीलाल पुत्र स्वर्गीय श्री माधुजी गमेती निवासी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

9/3– श्री रामचन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्री माधुजी गमेती निवासी सुन्दरवास तहयील गिर्वा जिला उदयपुर

9/4– श्री मोहन पुत्र स्वर्गीय श्री माधुजी गमेती निवासी सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

9/5– श्री लोकेश पुत्र स्वर्गीय श्री माधुजी गमेती नि0 सुन्दरवास तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

11. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव महोदय नगर विकास प्रन्यास उदयपुर

..... रेस्पोन्डेन्ट

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश
जिला कलक्टर उदयपुर दि0 16–05–2011
प्रकरण संख्या 20/2007

————/————

उपस्थित :–1–श्री महेश भट्ट अभिभाषक अपीलान्ट
2–श्री नरेश जणवा रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1
3–श्री हनुमान प्रसाद शर्मा रेस्पो. सं.–9 के वारिसान की और से
4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट सं. 10
5– श्री नरपतसिंह चुण्डावत रेस्पोन्डेन्ट संख्या–11

————/————

**<u>आदेश</u>** **<u>दिनांक 04–04–2018</u>**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में उप–तहसीलदार गिर्वा ने अपने आदेश दिनांक 13–6–2007 से दुर्गाप्रसाद रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के आवेदन पर प्रकरण संख्या 20/2007 में कार्यवाही करते हुए, जिस प्रकरण के तथ्य यह थे कि ग्राम सुन्दरवास में स्थित आराजी नंबर 265 व 270 में जो कि सह–खातेदारी की थी, उसमें प्रीतमसिंह ने बिना ईजाजत मकान बनाकर निर्माण कर लिया तथा इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 46/1980 में निर्णय दिनांक 3–10–1980 से 15 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये। जिला कलक्टर उदयपुर ने अपील संख्या 92/1981 में दिनांक 13–10–1981 को पत्रावली पुनः तहसीलदार को रिमाण्ड की। इसी दौरान दुर्गाप्रसाद

रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 प्रार्थी ने उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट संख्या 4340/2006 दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 14–8–2006 को प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में अधिनस्थ न्यायालय उप–तहसीलदार गिर्वा ने अपने प्रकरण संख्या 23/2006 में दिनांक 13–6–2007 को पटवारी की रिपोर्ट तलब कर पाया कि ग्राम सुन्दरवास की साबिक आराजी नंबर 270 व 265 जिसके हाल आराजी नंबर 267 से 270, 230, 232, 233, 311 बने है। इसमें प्रीतमसिंह द्वारा कारखाना एवं मकान हाल आराजी नंबर 233 में बना है, जिसका साबिक नंबर 265 है। कूल क्षैत्रफल 5000 वर्गफीट है। साबिक आराजी नंबर 265मीन सम्वत् 2026–29 की जमाबन्दी अनुसार बिलानाम आबादी दर्ज है तथा हाल आराजी नंबर 233 रकबा .09 हैक्टर नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। आराजी संख्या 267 के जो हाल आराजी नंबर 239, 241, 242, 267 से 270 बने है वे भी नगर विकास प्रन्यास द्वारा आबादी में स्पष्ट होकर मौके पर बस्ती बनी हुई है। विवादित आराजी 265मीन हाल आराजी नंबर 233 जिस पर प्रीतमसिंह का अवैद्य निर्माण है। वह आराजी नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज है। अतः अवैद्य निर्माण की कार्यवाही नबर विकास प्रन्यास द्वारा ही की जा सकती है। उपरोक्त निर्णय के साथ पत्रावली में कार्यवाही ड्रोप कर दी गई।

उप–तहसीलदार के उपरोक्त निर्णय दिनांक 13–6–2007 से रूष्ट होकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर के यहां अपील संख्या 20/2007 प्रस्तुत की, जिसमें जिला कलक्टर उदयपुर द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 16–5–2011 में निम्नानुसार निर्णय पारित कर अपील स्वीकार कीः–

***"अतः समग्र विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायहित में प्रकरण सचिव, नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को निर्देश दिये जाते है कि वो अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खातेदारी की भूमि पर अन्य व्यक्तियों के काबिज होने की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1956 की किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है एवं यदि उल्लंघन पाया जाता है तो उस पर आवश्यक कार्यवाही करें और किसी अन्य अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक हो तो उसके स्पष्ट प्रस्ताव सहित सचिव, नगर विकास प्रन्यास को यह भी निर्देश दिये***

*जाते है कि बिलानाम आबादी किस्म रास्ते की भूमि के संबंध में जांच कर सुनिश्चित करें कि रास्ते की इस सार्वजनिक भूमि पर किस–किस व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा है। ये देखते हुए रास्ते की भूमि प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध रहनी चाहिये यदि कहीं कोई अतिक्रमण हो तो उस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही विधि अनुसार करें।*

*अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। सचिव नगर विकस प्रन्यास को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए पालना रिपोर्ट 2 माह में पेश करें"।*

अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर के प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 16–5–2011 से रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–6–2011 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–11 की और से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत, रेस्पोन्डेन्ट संख्या–10 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर, रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 की और से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा ने वकालत पत्र प्रस्तुत किया।

दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या–9 की मृत्यु हो गई जिनका कायम मुकाम आवेदन भी प्रस्तुत हआ। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8 तथा 4 के वारिसान बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या–9 के वारिसान की और से अधिवक्त श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने उपस्थिति दीं। दौराने कार्यवाही रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 9 के फोत हो जाने के कारण पेश शुदा कायम मुकाम आवेदन न्यायहित में स्वीकार किये जाते है।

अपील शीर्षक में कायम मुकाम के नाम अंकित है।

दौराने कार्यवाही अपीलान्ट संख्या–2 की मृत्यु हो जाने के कारण दिनांक 19–12–2017 को उसके लिए अपील अबेट का आदेश पारित किया गया।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण बताते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की, वहीं अधिवक्ता

रेस्पोन्डेन्ट्स एव राजकीय अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

पकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का क्षैत्राधिकार नहीं है। नगर विकास प्रन्यास पक्षकार नहीं है, निर्णय एक–तरफा है। धारा–90–ए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अप्रासंगिक है। आबादी भूमि बाबत् राजस्व न्यायालय का क्षैत्राधिकार नहीं है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों व रेकार्ड का अवलोकन कर मनन किया तथा अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों R.R.D. 1984 पेज 523 तथा R.R.D.1985 पेज 107 का अवलोकन किया तो यह पाया कि उक्त नजीरें प्रासंगिक प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा नहीं होती, इसके विरूद्ध वस्तुतः R.R.D.1990 पेज 335, R.R.T. 2011(1) पेज 262 के बरूए जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर यदि राज्य सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते सैद्धान्तिक, नैतिक, प्रासंगिक एवं उचित आदेश दिया जाना विधिक माना गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अनुसूचित जनजाति की भूमियों पर कब्जे, अवैध निर्माण पर सक्षम अधिकारियों को समयबद्ध विधिक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जिला कलक्टर द्वारा दिये जाने को हम किसी प्रकार से तथ्यात्मक अथवा विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण नही पाते।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायाल का आदेश दिनांक 16–05–2011 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 04–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**( एल.एन.मंत्री )**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

( ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** .....मुकाम ..... **उदयपुर** व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

| | | |
|---|---|---|
| **श्री लालू पिता भेराजी भील (गमेती) निवासी वारणी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)** | बनाम | **मु. गंगाबाई बेवा खेमा जी भील (गमेती) निवासी वारणी, हाल भारोड़ी तहसील मावली जिला उदयपुर (राज0)** |

अपील नं0 **2/2015** बनाराजगी डिगरी अदालत ..... **उपखण्ड अधिकारी** ..... **मावली** ... मुकाम मुक्र्खे.....**27**.....माह.....**11**..... **2014**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**16**..... माह .....**08**..... सन् **2016** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री खेमराज डांगी..... मिनजानिब अपीलान्ट व ..... .....अनुपस्थित ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27–11–2014 यथावत रखी जाती है।**

( खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**16**..... माह ...**08**..... **2016** को जारी किया गया।

**(एल.एन.मंत्री )**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेसपोन्डेन्ट | रू0 | रू0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ..... ..स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान ..... ... | | | | | |

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।